अदालत सहायक कलक्टर दौसा मुकाम दौसा कोर्ट दौसा

दशरथसिंह बनाम महेन्द्रसिंह वगैरा

मुकदमा धारा 88, 188.53 नं. 153 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोरावड़ में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली का गठमध्य रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी एवं वादी के अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुये। वादी एवं वादी के अधिवक्ता से सुना गया। प्रतिवादी सं.1 महेन्द्रसिंह बावजूद तामील के कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुये। वादी के द्वारा अपने वाद के समर्थन में अनुतोष में विशिष्ट वृतान्त इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं.1 लालूसिंह पुत्र गोकुलसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुरा उर्फ महारानपुरा तह. दौसा मृतक पुत्र है। प्रतिवादी सं.1 महेन्द्रसिंह वाद पत्र में ही लालूसिंह की अपनी जीवित रहते मृत्यु के पश्चात पुत्रवत रहता चला आ रहा है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जिसमें फर्द-2002 की फोटो प्रति पेश की है जिस लालूसिंह की पुश्तैनी मौरूसी कैवर एवं उन्नी कैवर के एक-एक भाग की प्रति पेश की गई है। जिसमें प्रतिवादी महेन्द्रसिंह से उनके भाई-बहिनों के नाम बोले पुत्र रहते आ रहा है। प्रतिवादी ने लालूसिंह पुत्र गोकुलसिंह की भूमि दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त करली है तथा अपने पिता पापूदान सिंह की भूमि से भी

सहायक कलक्टर
दौसा

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही | हुक्म की तामील में जारी हुआ

न्याय आपके द्वार 2018

अपना नामान्तकरण कुलवा लिया है। महेन्द्रसिंह
मल्लू सिंह की समस्त चल-अचल सम्पत्ति
विरासत में प्राप्त मूल्य के कारण अपने पैतृक
पिता पापूदान सिंह की विरासत में भाई हक व अधिकार
नहीं है। पापूदान की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का कानूनन
हकदार वादी दशरथ सिंह है। वादी का वाद
स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी
का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि
ग्राम रामपुरा उर्फ महारामपुरा तहसील दौसा स्थित
ख.न. 547/0.50, 548/0.31, 550/0.30, 555/0.14, 556/0.14, 731/0.47, 734/0.51 कुल
किता 7 कुल रकबा 2.37 है. भूमि में से प्रतिवादी महेन्द्रसिंह
का नाम हटाया किया जाता है तथा उक्त सम्पूर्ण खाते
का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी
ग्राम का खाता संख्या 187 सं. 2064 से 2067 में स्थित
भूमि ख.न. 376/3.30, 377/1.22, 378/0.69, 381/1.44 तथा 392/0.78 कुल
किता 5 कुल रकबा 7.43 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1
महेन्द्र पुत्र पापूदान सिंह का नाम हटाया किया जाता है
तथा उसके हिस्से 493/4458 की खातेदारी की आधी-
घोषणा वादी दशरथ सिंह के हक में की जाती है।
खाता संख्या 5 के ख.न. 549 रकबा 0.05 है.
गै.मु. चाह में वादी का 1/3 हिस्सा अपने बिजली सम्पर्क
घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह
को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि
वादी की उक्त खातेदारी भूमि में वादी के कब्जे उपरान्त
में दखलंदाजी नहीं करें। तहसीलदार दौसा को आदेश
दिये जाते हैं कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
करें। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।
पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार हो कर नम्बर
से कम हो। रकबा वाद एकाधिक प्रतिवादी लेख आवश्यक हो। निर्णय

गया है। पालूराम से चलकर अचल सम्पत्ति के कानूनन
हकदार वादी दशरथ सिंह है। वादी का वाद
स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी
का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि
ग्राम रामपुरा उर्फ महारामपुरा तहसील दौसा स्थित
ख.नं. 547/0.50, 548/0.31, 550/0.30, 555/0.74, 556/0.74, 731/0.47, 734/0.57 कुल
किता 7 कुल रकबा 2.37 है. भूमि में से प्रतिवादी महेन्द्र सिंह
का नाम हटाया किया जाता है तथा उक्त सम्पूर्ण खाते
का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी
ग्राम का खाता संख्या 187 सं. 2064 से 2067 में स्थित
भूमि ख.नं. 376/3.30, 377/1.22, 378/0.69, 381/1.44 तथा 392/0.78 कुल
किता 5 कुल रकबा 7.43 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1
महेन्द्र पुत्र पापूदान सिंह का नाम हटाया किया जाता है
तथा उनके हिस्से 493/4458 की खातेदारी की आधी-
घोषणा वादी दशरथ सिंह के हक में की जाती है।
खाता संख्या 5 के ख.नं. 549 रकबा 0.05 है.
गै.मु. चाह में वादी का 1/3 हिस्सा मय बिजली समेत
घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह
को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि
वादी की उक्त खातेदारी भूमि में वादी के कब्जे जमा
में दखलअंदाजी नहीं करें। तहसीलदार दौसा को आदेश
दिये जाते हैं कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
करें। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।
पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार हो कर नम्बर
से कम हो तथा बाद तमामी प्रतिवादीगण के भुगतान हो। निर्णय
राजस्व लोक अदालत मैम्बर कोर्ट ओरोपन के मजमून आम में लिखवाया
जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा